दिनांक: 17/02/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा बलवा करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 16/02/2024 को ग्राम पीरमाजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर में दो पक्षो के बीच आपस मे झगड़ा हुआ था । जिसके सम्बन्ध मे थाना गंगोह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 42/24 धारा 147/160/336/504 भा.द.वि व 7 क्रि0लॉ0 एक्ट बनाम 1. आबिद पुत्र केशू निवासी ग्राम पीरमाजरा थाना गंगोह सहारनपुर 2. खालिद प्रधान पुत्र अरशद अली निवासी ग्राम पीरमाजरा थाना गंगोह सहारनपुर 3. आलमगीर पुत्र रुकमदीन नि0 उपरोक्त 4. युनुस पुत्र सलीमुद्दीन निवासी उपरोक्त 5. शिवलाल पुत्र कृष्ण कश्यप निवासी उपरोक्त 6. मुफैद पुत्र हमीद निवासी ग्राम पीरमाजरा 7. हुसैन पुत्र नामालूम निवासी उपरोक्त 8. इमरान (प्रधान) पुत्र मांगा निवासी उपरोक्त 9. हुसैन पुत्र रियासत निवासी उपरोक्त 10.रूस्तम पुत्र इकबाल निवासी ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह सहारनपुर 11. मुर्सलीन पुत्र कासिम निवासी उपरोक्त 12. जुबैर पुत्र हकमदीन नि0 उपरोक्त 13. मुबारिक पुत्र जिन्दा निवासी उपरोक्त 14. तन्जीम पुत्र इकराम निवासी उपरोक्त तथा अन्य अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **आबिद पुत्र केशू निवासी ग्राम पीरमाजरा थाना गंगोह सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे गाँव के पूर्व प्रधान इमरान पुत्र मांगा की ग्राम सागाठेड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के लोगो से रंजिश है । जिस कारण आज हमारे गाँव वालो का ग्राम सागाठेड़ा के लोगो से झगडा हो गया था और एक दूसरे की ओर से जमकर पत्थरबाजी चली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आबिद पुत्र केशू निवासी ग्राम पीरमाजरा थाना गंगोह सहारनपुर उम्र करीब 55 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नोवेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सुभाष मरौठिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 321 राहुल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 1606 दीपक कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 17/02/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29/12/2023 को वादी श्री प्रदीप पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से कुछ नकदी, सिलेण्डर तथा इन्वर्टर बैटरा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-389/23 धारा 380 भा.द.वि के पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण (1) दानिश पुत्र शमीम (2) मोनिश पुत्र शमीम समस्त निवासीगण मौहल्ला सराय निकट पानी की टंकी कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया। अभियुक्त दानिश उपरोक्त को दिनांक 29/12/23 को गिरफ्तार कर पूर्व मे जेल भेजा जा चुका है। जिससे चोरी गये माल सिलेण्डर को बरामद कर लिया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री नावेन्द्र सिंह सिरोही के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त मोनिश पुत्र शमीम समस्त निवासीगण मौहल्ला सराय निकट पानी की टंकी कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला सराय इलाहीबक्श से निकट पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

अभियुक्त मोनिस उपरोक्त नें पूछने पर बताया कि ननौता रोड अनाज मण्डी के पास दुकान से मै तथा मेरे भाई दानिश नें अब से करीब एक डेढ महीने पहले सिलेण्डर व इन्वर्टर बैटरा चोरी किया था। मेरे हिस्से मे बैट्रा व इन्वर्टर आया था और मेरे भाई के हिस्से मे सिलेण्डर आया था। बैटरा व इन्वर्टर राह चलते व्यक्ति को लगभग छः हजार रूपये मे बेच दिया था। बेचने के बाद जो पैसे मुझे मिले थे उनमे से मेरे पास कुल 510 रू0 बचे है जो अभी तलाशी से आपको मुझसे मिले है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोनिश पुत्र शमीम समस्त निवासी मौहल्ला सराय निकट पानी की टंकी कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

510 रु0/- (चोरी के माल को बेचने के बाद बचे पैसे)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनिश

(1) मु0अ0सं0- 37/23 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0- 117/23 धारा 380/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह सहारनपुर

(3) मु0अ0सं0- 389/23 धारा 380/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 322 मोनू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 17-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड द्वारा बालिका बाल गृह पर लगी आग पर काबू पाया गया, जिसमें कोई जनहानि नही हुयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 17.02.2024 को समय प्रातः 01.30 बजे श्रीमती पूजा सैनी, अधीक्षिका बाल ग्रह (बालिका) पुष्पांजली बिहार जनता रोड सहारनपुर द्वारा जरिये दूरभाष प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को सूचना दी गयी कि पुष्पांजली विहार जनता रोड पर स्थित बालगृह (बालिका) में अचानक आग लग गयी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम द्वारा उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया गया तथा फायर ब्रिगेड को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर आग पर काबू पाय जाने हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से कडी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया तथा बालिका बाल गृह के कर्मचारी तथा बाल गृह मे मौजूद कुल 26 बालिकाओ को सकुशल बाहर निकाला गया। उक्त घटना में कोई जनहानि नही हुयी।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 17.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 नशा तस्कर अभियुक्त सहित 01 महिला अभियुक्ता को 45 ग्राम स्मैक से साथ किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए शातिर नशा तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.02.2024 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण **1.इस्लाम पुत्र जान मौहम्मद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर, 2. वासिद पुत्र शौकत उर्फ शौक अली निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 3. रजिया पत्नी वासिद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को 45 ग्राम अवैध स्मैक सहित छप्पर वाली मस्जिद की गली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 19/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हमारी परिवार की स्थिति कमजोर है इसलिए हमने पैसे कमाने के लालच में उत्तराखण्ड से एक अजनबी व्यक्ति से खरीदी थी जिसे आज हम अपने यहाँ बेचने जा रहे थे कि रास्ते में आपने पकड लिये । साहब हम बेचने वाले का नाम पता नही जानते ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. इस्लाम पुत्र जान मौहम्मद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. वासिद पुत्र शौकत उर्फ शौक अली निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. रजिया पत्नी वासिद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्ता रजिया -

1- मु0अ0स0-265/22 धारा 8/21 एनडीपीसी एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री भुपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का0 2415 अंकित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. म0का0 897 हेमलता थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

प्रेस नोट

दिनांक: 17.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 पेटी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब/नशीले पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 17.02.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान 02 शातिर चोर **अभियुक्तगण 1. आशू उर्फ आस मौहम्मद पुत्र मतलूब व 2. मनव्वर पुत्र लतीफ निवासीगण मौ0 पठानपुरा ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को 02 पेटी देशी शराब (कुल 96 पव्वे) व 01 सब्बल (बारी) ठेका देशी शराब ग्राम मल्हीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 42/24 धारा 380/457/411 भादवि बनाम आशू आदि 03 के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. आशू उर्फ आस मौहम्मद पुत्र मतलूब निवासी मौ0 पठानपुरा ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर
2. मनव्वर पुत्र लतीफ निवासी मौ0 पठानपुरा ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

02 पेटी देशी शराब (कुल 96 पव्वे)
01 सब्बल (बारी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. है0का0 968 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
3. का0 2550 प्रदीप कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

प्रेस नोट

दिनांक- 17.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 17.02.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी **अभियुक्त राशिद पुत्र जाहिद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर** को वाद संख्या- 4116/2023 धारा 380/411/457 भादवि चालानी थाना चिलकाना में ग्राम फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

अभियुक्त राशिद पुत्र जाहिद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0—325/15 धारा- 380/411/457 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—21/16 धारा—380 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—22/16 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—169/17 धारा—2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री राजकुमार सहारण थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 17/02/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 द्वितीय, सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्ता को आजीवन कारावास तथा 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी

अवगत कराना है, कि दिनांक 08.06.2010 को वादी बुन्दु पुत्र ईददू निवासी मौ0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्र इमराना को दहेज के लिए प्रताड़ित करना व अभियुक्ता सन्नो द्वारा इमराना व उसके दो बच्चो को जबरदस्ती जहर देना जिससे दोनो बच्चों की मृत्यु हो जाने की सूचना पर मु0अ0सं0 287/2010 धारा 302,307,328,498ए भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 646/2012 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा। विवेचना में नामित अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्ता इमराना का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** मे चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 17.02.2024 को अभियुक्ता इमराना पत्नी शहजाद उपरोक्त को मु0अ0सं0 287/2010 धारा 304,328,309 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मैनपाल सिह 9758340372
विवेचक निरीक्षक श्री मदनपाल अशोक
पैरोकार का0 2265 ओमेन्द्र सिह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर